दिनांक- 02.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 655/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 02.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 02.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 656/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर – थाना कोतवाली नगर महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोबा श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
- प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 सत्यम मिश्रा मय हमराह उ0नि0 अंकित सिंह चौहान एवं कां0 पंकेश कुमार गौतम द्वारा दिनांक 01.09.2026 को अभियुक्त गोलू गुप्ता पुत्र स्व0 दयाशंकर गुप्ता, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी भरूआ सुमेरपुर, थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर को बीजानगर से शाहपहाड़ी जाने वाले रास्ते पर पुलिया के पास, बहद ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया।
- अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा पर मु0अ0सं0 438/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी तथा अभियुक्त को माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गोलू गुप्ता पुत्र स्व0 दयाशंकर गुप्ता, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी भरूआ सुमेरपुर, थाना सुमेरपुर, जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सत्यम मिश्रा, थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 अंकित सिंह चौहान, थाना कोतवाली नगर महोबा
3. कां0 पंकेश कुमार गौतम, थाना कोतवाली नगर महोबा

दिनांक- 02.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 657/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी – थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा

01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
- थानाध्यक्ष चरखारी श्री राहुल मिश्रा द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल मय हमराह हे0का0 राजकुमार द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत वारंट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त को ग्राम बैहारी से गिरफ्तार किया गया।
- गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त की पहचान बलवान राजपूत पुत्र राजाराम, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी ग्राम बैहारी थाना चरखारी जनपद महोबा के रूप में हुई है, जो मुकदमा संख्या 27/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट से संबंधित है। अभियुक्त को आज दिनांक 02.09.2026 को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

बलवान राजपूत पुत्र राजाराम, उम्र करीब 47 वर्ष, निवासी ग्राम बैहारी थाना चरखारी जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल, थाना चरखारी जनपद महोबा।
2. हे0का0 राजकुमार, थाना चरखारी जनपद महोबा।

दिनांक- 02.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 658/26

महोबा पुलिस

महोबा पुलिस बनी प्रदेश में नंबर-1: आईजीआरएस में 100 प्रतिशत अंक

अगस्त 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद महोबा ने त्वरित निस्तारण और तकनीकी दक्षता का नया मानक स्थापित किया।

- उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा माह अगस्त 2026 के आंकड़ों के आधार पर जारी प्रदेश स्तरीय आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) रैंकिंग में जनपद महोबा पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महोबा पुलिस को पूरे प्रदेश में 100 प्रतिशत अंक मिले हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि जनपद के प्रत्येक थाने ने भी 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। यह उपलब्धि पूरे जनपद की एकजुट टीम वर्क और सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली को दर्शाती है।
- यह सफलता पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह, के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्राप्त हुई है। दोनों अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना स्तर से लेकर जनपद स्तर तक शिकायतों के त्वरित निस्तारण, नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
- आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त नागरिक शिकायतों का शीघ्र निपटारा, ऑनलाइन निगरानी, समयबद्ध अनुपालन और तकनीकी प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग इस रैंकिंग का आधार बना। जनपद पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित न रहे तथा प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा में हो।
- पुलिस अधीक्षक श्री शशांक सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि महोबा पुलिस की पूरी टीम की लगन, अनुशासन और आम नागरिकों के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों, कर्मियों और पर्यवेक्षण अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि लक्ष्य केवल रैंकिंग में शीर्ष पर रहना नहीं, बल्कि नागरिकों को शीघ्र और संतोषजनक न्याय उपलब्ध कराना है। आईजीआरएस को और अधिक प्रभावी बनाने तथा शून्य लंबित शिकायतों की स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।
- पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल नेतृत्व में थानावार समीक्षा, नियमित अनुश्रवण और फील्ड स्तर पर मार्गदर्शन से यह परिणाम संभव हो सका। जनपद पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी शिकायत के लिए आईजीआरएस पोर्टल तथा निर्धारित पुलिस हेल्पलाइन का उपयोग करें। जन सहयोग से ही इस व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकेगा।